

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक: आर-1/( )21/एनजीटी/10934

दिनांक: 4/1/2022

✓Registrar,  
National Green Tribunal  
Central Zonal Bench, Bhopal  
III Floor, State Information  
Commission Building  
Arera Hills, Bhopal-462011


विषय:—Original Application No. 84/2021 Before the National Green Tribunal  
Central Zone Bench, Bhopal में पारित आदेश दिनांक 18.11.2021 के क्रम  
में।

प्रसंग:—आपके पत्रांक D.No./F.S./2021/249 dated 23-11-2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में National Green Tribunal  
Central Zone Bench, Bhopal vs Original Application No. 84/2021 में पारित आदेश दिनांक  
18.11.2021 में ग्राम जाबड के पास घोसल्या की ढाणी तहसील फगी जिला जयपुर में स्थित  
मैसर्स अमर मैटल्स वर्क्स का दिनांक 22.12.2021 को क्षेत्रिय अधिकारी (दक्षिण), राजस्थान  
प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के साथ मौका निरीक्षण किया गया।

ग्राम घोसल्या की ढाणी में स्थित मैसर्स अमर मैटल्स वर्क्स ग्राम जाबड के आरजी  
खसरा नम्बर 27/1400 रकबा 0.2782 हैक्टर किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ जो कि मालती  
देवी पत्नि विमल कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मौके पर उपस्थित सहायक  
अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० फगी ने बताया कि फर्म का विद्युत कनेक्शन  
दिनांक 21.12.2021 को विच्छेद कर दिया गया है। वर्तमान में फर्म में उत्पादन संचालित नहीं  
है। मौके पर फर्म के मालिक श्री विमल कुमार ने पिछले तीन माह से फर्म में उत्पादन कार्य  
बंद होना बताया गया है। वक्त मौका निरीक्षण की फर्द मौका तैयार की गई है।

मैसर्स अमर मैटल्स वर्क्स ग्राम जाबड के आरजी खसरा नम्बर 27/1400 रकबा  
0.2782 हैक्टर किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ में वर्तमान में उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है तथा  
फर्म का विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया जाना पाया गया है। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला कलेक्टर,  
जयपुर